प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू उर्फ अरूण पुत्र श्री जैलाल, निवासी जनपद-शामली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्लू उर्फ अरूण पुत्र श्री जैलाल, चौसाना, थाना-झिझाना, जनपद-शामली का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद एवं रूपयों के लेन-देन के विवाद के कारण दिनांक 22.02.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-324/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, सहारनपुर के आदेश दिनांक 25.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.01.2021 तक 14 वर्ष 00 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 01 माह 24 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट@पुलिस, अधीक्षक, शामली ने बंदी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, समयपूर्व रिहाई से पुन: भविष्य में ऐसे अपराधों में संलिप्त होने की पूरी सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कल्लू उर्फ अरूण (बन्दी संख्या-45551) पुत्र श्री जैलाल, निवासी जनपद-शामली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-99/2021/832(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in